



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269670
CG-DL-E-30012026-269670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 70]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 71(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में,—

- (क) नियम 9 के उपनियम (5) के पहले परंतुक में, “सुरक्षा जमा के माध्यम से” शब्दों के पश्चात, “अथवा बीमा प्रतिभू बांड के माध्यम से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) नियम 10 के उपनियम (1क) में,—
 - (i) आरंभिक भाग में “या विस्तारित अवधि” शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) खंड (ख) में, “पंद्रह दिनों के भीतर” शब्दों के स्थान पर “और नियम 12 में यथाविनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन प्रतिभूति पैंतालीस दिन के भीतर” शब्द और आंकड़े रखे जाएंगे;

(iii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) नियम 12 के उपनियम (2) में, “प्रतिभूति निश्चेपो के माध्यम से” शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे:—

“या अनुसूची 3-क में यथाविनिर्दिष्ट रूप विधान में बीमा प्रतिभू बांड के माध्यम से”;

(घ) नियम 13 के उपनियम (3) के खंड (i) में “न्यास” शब्द के स्थान पर “और विकास न्यास” शब्द रखे जाएंगे;

(ङ.) नियम 18 में,—

(i) उप-नियम (1) में परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (1क) में,—

(क) आरंभिक भाग में “या विस्तारित अवधि” शब्दों, का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) में, “पंद्रह दिन” शब्दों के स्थान पर “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(च) नियम 19 के उपनियम (4) में,—

(i) “प्रतिभूति जमा के माध्यम से” के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे:—

“अथवा अनुसूची 4-क में यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में बीमा प्रतिभू बांड के माध्यम से”;

(ii) पहले परंतुक में, “प्रतिभूति जमा” शब्दों के पश्चात, “या बीमा प्रतिभू बांड” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(छ) नियम 19ड. में,—

(i) उपनियम (6) में, “प्रतिभूति जमा के माध्यम से” शब्दों के पश्चात, “या बीमा प्रतिभू बांड के माध्यम से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम (10) में, खंड (3) में, “नीलामी के समापन पर” शब्दों के पश्चात, “सार्वजनिक अवलोकन के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म द्वारा स्वचालित रूप से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ज) नियम 19छ में,—

(i) उप—नियम (1) में,—

(क) दोनों स्थानों पर “पंद्रह दिनों” शब्दों के स्थान पर “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम (2) में,—

(क) खंड (ख) में, “पंद्रह दिन” शब्दों के स्थान पर “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(झ) नियम 19ज में, उपनियम (2) में, “प्रतिभूति जमा के माध्यम से” के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे:—

“या अनुसूची 4—क में यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में बीमा प्रतिभू बांड के माध्यम से”;

(ज) “अनुसूची 3” के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“अनुसूची 3-क

बीमा प्रतिभू बांड का प्रपत्र

[नियम 12(2) देखें]

[प्रतिभू बीमाकर्ता की संदर्भ संख्या]

[तारीख]

सेवा में

राज्यपाल [राज्य का नाम]

[पता]

जबकि

क. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अधीन भारत में निगमित [अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी का नाम], जिसकी कॉरपोरेट पहचान संख्या [अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी का सीआईएन], जिनका रजिस्ट्री कार्यालय [रजिस्ट्री कार्यालय का पता], भारत है और कारबार का प्रमुख स्थान [कारबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि रजिस्ट्री कार्यालय से भिन्न हो] अथवा [व्यष्टिक का नाम] जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थायी खाता संख्या [संख्या] है, [पता] का निवासी है, अथवा [भागीदारी फर्म/व्यष्टिकों का समूह] जिसके सभी सदस्य भारतीय नागरिक हैं, और भारत के निवासी हैं जिनके कारबार का प्रमुख स्थान [कारबार के स्थान का पता] में है, [“अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी”] को (निष्पादन प्रतिभू बीमा की समाप्ति की तारीख [“समाप्ति तारीख”]) तक वैध सुरक्षा निष्पादन के रूप में आईएनआर [आंकड़े] [भारतीय रूपए (शब्दों में)] के समान रकम के लिए शर्तविहीन एवं अप्रतिसंहरणीय बीमा प्रतिभू बांड के रूप में प्रत्याभूति देना अपेक्षित है।

ख. राज्य और अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के बीच निष्पादित किया जाने वाला खान विकास और उत्पादन करार (संयुक्त रूप से “करार”) नीलामी (नीलामी का विवरण) के संबंध में तारीख [तारीख] के निविदा दस्तावेज के अधीन कुछ बाध्यताओं की पूर्ति हेतु सुरक्षा निष्पादन राज्यपाल [राज्य का नाम], (“राज्य”) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ग. अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के अनुरोध पर हम, (बीमा कंपनी का नाम) अपनी शाखा (“नाम”) इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य की मांग पर करार के अधीन अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी की बाध्यताओं को सुरक्षित रखने हेतु आईएनआर (आंकड़े) (भारतीय रूपये) [शब्दों में] (“प्रतिभू बांड रकम”) तक की रकम राज्य को संदाय करने का वचन देते हैं।

अतः अब, प्रतिभू बीमाकर्ता राज्य के पक्ष में अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी की ओर से यह अप्रतिसंहरणीय और शर्तरहित संदाय बीमा प्रतिभू बांड जारी करता है और निम्नानुसार पुष्टि करता है, अर्थात्:—

- यह बीमा प्रतिभू बांड भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी आईआरडीएआई (प्रतिभू बीमा अनुबंध) दिशानिर्देश, 2022 के संदर्भ में प्रतिभू बीमाकर्ता द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
- प्रतिभू बीमाकर्ता इस प्रयोजन से राज्य से प्राप्त प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर तत्काल राज्य को उसमें विनिर्दिष्ट राशि हेतु ऐसी मांग के लिए राज्य द्वारा प्रतिभू बीमाकर्ता वजहों अथवा

कारणों को दर्शने अथवा सावित करने की राज्य की आवश्यकता के बिना और किसी भी मामले पर राज्य और अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के मध्य किसी विवाद अथवा मतभेद के बावजूद वह राशि अथवा राशियां (एक अथवा अधिक दावों के माध्यम से) जो कि कुल की प्रत्याभूति मात्रा से अधिक न हो, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध अथवा आश्रय के बिना शर्त रहित तथा स्थायी तौर पर संदाय करने का वचन देता है। संपूर्ण और स्पष्ट होने के अधीन प्रतिभू वीमाकर्ता के दायित्वों के संबंध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले अथवा कार्यवाही में अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी द्वारा उत्पन्न किसी विवाद अथवा विवादों के होते हुए भी मांगी गई राशि का संदाय राज्य को करने का वचन देता है।

3. प्रतिभू वीमाकर्ता यह स्वीकार करता है कि राज्य को प्रतिभू वीमाकर्ता द्वारा संदाय की जाने वाली रकम की राज्य द्वारा ऐसी कोई भी मांग करार के अधीन राज्य को अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी द्वारा संदाय की जाने वाली रकम के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायिक प्रमाण होगा।
4. प्रतिभू वीमाकर्ता द्वारा राज्य की पूर्वेकित राशि अथवा अधिमानी बोली दाता/प्रधान ऋणी से उसके किसी अंश की मांग करने की आवश्यकता को हटाता है और साथ ही इस प्रतिभू बांड के अधीन संदाय हेतु प्रतिभू वीमाकर्ता की किसी लिखित मांग को प्रस्तुत करने से पूर्व अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के विरुद्ध अपने विधिक उपचार का राज्य द्वारा अपनाए जाने को अपेक्षित बनाने के प्रतिभू वीमाकर्ता के किसी अधिकार को भी हटाता है।
5. इसके अतिरिक्त प्रतिभू वीमाकर्ता बिना शर्त के राज्य से सहमति रखता है कि राज्य को छूट होगी कि, बिना प्रतिभू वीमाकर्ता की सहमति के और इस प्रतिभू बांड के अधीन प्रतिभू वीमाकर्ता के दायित्व को समय-समय पर, किसी रूप में प्रभावित किए बिना:
 - (i) करार के निबंधनों और शर्तों को बदल और / या उपरांतरित करेगा;
 - (ii) करार के अधीन अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के कर्तव्यों के निष्पादन हेतु समय को विस्तृत और/ या स्थगित कर सकेगा, अथवा
 - (iii) करार के निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के विरुद्ध राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले किसी अधिकारों को प्रविरत रहना या प्रवृत्त कर सकेगा।
 और प्रतिभू वीमाकर्ता को ऐसे किसी कृत्य के कारण अथवा राज्य की ओर से हुए लोप अथवा अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के राज्य द्वारा किसी अनुग्रह अथवा किसी अन्य कारण जो प्रतिभूतियों से संबंधित नियम के अधीन प्रतिभू वीमाकर्ता को उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं करेगा किन्तु इस उपबंध हेतु, इस प्रतिभू बांड के अधीन प्रतिभू वीमाकर्ता को उसकी बाध्यताओं से मुक्त करने का प्रभाव होगा।
6. इसके अधीन किया गया कोई भी संदाय किसी वर्तमान एवं भविष्य कर, उद्धन, इम्पोस्ट, शुल्क, प्रभारों, फीस, कमीशनों, कटौतियों अथवा किसी भी प्रकृति की रोकों, के कारण से, किसी कटौतियों से मुक्त होगा।
7. प्रतिभू वीमाकर्ता सहमति देता है कि राज्य अपने विकल्प पर अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के विरुद्ध प्रथम दृष्टा कार्यवाही के बिना प्रथम दृष्टांत में प्रमुख ऋणदाता के रूप में, प्रतिभू वीमाकर्ता के विरुद्ध इस प्रतिभू बांड को लागू करने का हकदार होगा।
8. प्रतिभू वीमाकर्ता यह और सहमति देता है कि इसमें निहित प्रत्याभूति, करार में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह प्रभाव में एवं लागू रहेगी और यह कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के सुरक्षा निष्पादन के संबंध में कथित करार के आधार पर अथवा उसके अधीन सभी कर्तव्यों की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो जाती और उसके दावों की संतुष्टि अथवा पूर्ति या जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं करता कि सुरक्षा निष्पादन के संबंध में अनुबंध की नियम एवं शर्तों का पूरी तरह एवं उचित रूप में अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी द्वारा पालन किया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का निर्वहन किया गया है। इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक समाप्ति की तारीख तक अथवा उसके पूर्व लिखित में प्रतिभू वीमाकर्ता पर इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग अथवा दावा नहीं पेश किया जाता प्रतिभू वीमाकर्ता को तदनंतर इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त रखा जाएगा।
9. इस प्रत्याभूति के अधीन प्रतिभू वीमाकर्ता द्वारा किया गया संदाय इस आधार पर संदाय हेतु प्रतिभू वीमाकर्ता के दायित्वों का वैध पूर्ति मानी जाएगी और राज्य ऐसा संदाय करने के लिए प्रतिभू वीमाकर्ता के विरुद्ध कोई दावा पेश नहीं कर पाएगा।

10. यह प्रतिभू बांड भारत की विधि के अधीन है। इस प्रतिभू बांड अथवा इसकी विषय वस्तु के कारण राज्य में [संबंधित राज्य] उत्पन्न किसी वाद, कार्रवाई अथवा अन्य कार्रवाई राज्य के न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी।
11. प्रतिभू बीमाकर्ता के पास इस प्रतिभू बांड को राज्य के पक्ष में जारी करने का अधिकार है। इस प्रतिभू बांड को प्रतिभू बीमाकर्ता के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्वहन नहीं किया जा सकेगा।
12. प्रतिभू बीमाकर्ता लिखित में राज्य की पूर्व सहमति के बिना इस प्रतिभू बांड को जारी रहने के दौरान प्रतिसंहित नहीं करने के लिए वचनबद्ध है।
13. राज्य, प्रतिभू बीमाकर्ता को पूर्व सूचना द्वारा, किसी अन्य विभागों, मंत्रालयों अथवा अन्य सरकारी अभिकरणों को इस प्रतिभू बांड के अधीन अधिकार दे सकेगा, जो राज्यपाल के नाम पर लागू होंगे। इस खंड में उपबंधित के सिवाय, यह प्रत्याभूति समनुदेशनीय अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी।
14. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,
 - (क) इस प्रतिभू बांड के अधीन प्रतिभू बीमाकर्ता का दायित्व प्रतिभू रकम से अधिक नहीं होगा।
 - (ख) यह प्रतिभू बांड समाप्ति की तारीख तक मान्य होगा।
15. प्रतिभू बीमाकर्ता इस प्रतिभू बांड के अधीन प्रतिभू बांड की रकम अथवा उसके किसी अंश के संदाय का केवल सिर्फ और केवल तभी उत्तरदायी है यदि राज्य समाप्ति की तारीख को अथवा उसके पूर्व प्रतिभू बीमाकर्ता को लिखित दावा अथवा मांग पेश करता है।

तारीख (दिवस) को प्रतिभू बीमा कर्ता हेतु (महीने) वर्ष का दिन

साक्षी में जिसके प्रतिभू बीमाकर्ता ने, अपने प्राधिकृत अधिकार के द्वारा, अपना हस्ताक्षर और मोहर किया है।

.....
(हस्ताक्षर)

.....
(नाम और पदनाम)

(प्रतिभू बीमाकर्ता की मोहर)

(ट) उक्त नियमों में, "अनुसूची 4" के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूची अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची 4-क

संयुक्त अनुज्ञासि और गवेषण अनुज्ञासि के लिए बीमा प्रतिभू बांड के लिए प्रपत्र

[नियम 19 (4) और 19ज (2) देखें]

[प्रतिभू बीमाकर्ता की संदर्भ संख्या]

[तारीख]

सेवा में

राज्यपाल [राज्य का नाम]

[पता]

जबकि

(क) कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अधीन भारत में निगमित [अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी का नाम], कॉरपोरेट पहचान संख्या [अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी का सीआईएन] सहित, जिनका रजिस्ट्री कार्यालय [रजिस्ट्री कार्यालय का पता], भारत है और कारबार का प्रमुख स्थान [कारबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि रजिस्ट्री कार्यालय से भिन्न हो] अथवा [व्यष्टिका नाम] जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर स्थायी खाता [संख्या] है, [पता] का निवासी है, अथवा [भागीदारी फर्म/व्यष्टिकों का संघ] जिसके सभी सदस्य भारतीय नागरिक हैं, और भारत के निवासी है जिनके कारबार का प्रधान स्थान [कारबार के स्थान का पता] है, [“अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी”] को (निष्पादन प्रतिभू बीमा की समाप्ति की तारीख (“समाप्ति तारीख”) तक वैध सुरक्षा निष्पादन के रूप में आईएनआर [आंकड़े] [भारतीय रूपए (शब्दों में)] के समान रकम के लिए शर्तविहीन एवं अप्रतिसंहरणीय बीमा प्रतिभू बांड के रूप में प्रत्याभूति देना अपेक्षित है जो (“समाप्ति की तारीख”) की तारीख से [*] [*] की आरंभिक अवधि के लिए वैध होगी।

(ख) नीलामी (नीलामी का विवरण) के संबंध में तारीख [तारीख] के निविदा दस्तावेज के अधीन कुछ वाध्यताओं की पूर्ति हेतु [राज्य का नाम], (“राज्य”) के राज्यपाल को निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करना अपेक्षित है और राज्य और अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के बीच खान विकास और उत्पादन करार (संयुक्त रूप से “करार”) निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

(ग) अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के अनुरोध पर हम, (बीमा कंपनी का नाम) अपनी शाखा (“नाम”) इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य की मांग पर करार के अधीन अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी की वाध्यताओं को सुरक्षित रखने हेतु आईएनआर (आंकड़े) (भारतीय रूपये) [शब्दों में] (“प्रतिभू बांड रकम”) तक की रकम राज्य को संदाय करने का वचन देते हैं। अतः अब, प्रतिभू बीमाकर्ता राज्य के पक्ष में अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी की ओर से यह अप्रतिसंहरणीय और शर्तरहित संदाय बीमा प्रतिभू बांड जारी करता है और निम्नानुसार पुष्टि करता है, अर्थात्:—

- यह बीमा प्रतिभू बांड भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी आईआरडीएआई (प्रतिभू बीमा अनुबंध) दिशानिर्देश, 2022 के संदर्भ में प्रतिभू बीमाकर्ता द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
- प्रतिभू बीमाकर्ता इस प्रयोजन से राज्य से प्राप्त प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर तत्काल राज्य को उसमें विनिर्दिष्ट राशि हेतु ऐसी मांग के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिभू बीमाकर्ता वजहों अथवा कारणों को दर्शाने अथवा साबित करने की राज्य की आवश्यकता के बिना और किसी भी मामले पर राज्य और अभिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के मध्य किसी विवाद अथवा मतभेद के बावजूद वह राशि अथवा राशियां (एक अथवा अधिक दावों के माध्यम से) जो कि कुल की प्रत्याभूति मात्रा से अधिक न हो, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध अथवा आश्रय के बिना शर्त रहित तथा स्थायी तौर पर संदाय करने का वचन देता है। संपूर्ण और स्पष्ट होने के अधीन प्रतिभू बीमाकर्ता के दायित्वों के संबंध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले अथवा कार्यवाही में अभिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी द्वारा उत्पन्न किसी विवाद अथवा विवादों के होते हुए भी मांगी गई राशि का संदाय राज्य को करने का वचन देता है।
- प्रतिभू बीमाकर्ता यह स्वीकार करता है कि राज्य को प्रतिभू बीमाकर्ता द्वारा संदाय की जाने वाली रकम की राज्य द्वारा ऐसी कोई भी मांग करार के अधीन राज्य को अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी द्वारा संदाय की जाने वाली रकम के संबंध में अंतिम, वाध्यकारी और निर्णायिक प्रमाण होगा।
- प्रतिभू बीमाकर्ता द्वारा राज्य की पूर्वोक्त राशि अथवा अभिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी से उसके किसी अंश की मांग करने की आवश्यकता को अधित्यक्त करता है और साथ ही इस प्रतिभू बांड के अधीन संदाय हेतु प्रतिभू बीमाकर्ता की किसी लिखित मांग को प्रस्तुत करने से पूर्व अधिमानी बोलीदाता/प्रधान ऋणी के विरुद्ध अपने विधिक उपचार का राज्य द्वारा अपनाए जाने को अपेक्षित बनाने के प्रतिभू बीमाकर्ता के किसी अधिकार का भी अधित्यजन करता है।
- इसके अतिरिक्त प्रतिभू बीमाकर्ता बिना शर्त के राज्य से सहमति रखता है कि राज्य को छूट होगी कि, बिना प्रतिभू बीमाकर्ता की सहमति के और इस प्रतिभू बांड के अधीन प्रतिभू बीमाकर्ता के दायित्व को समय-समय पर किसी रूप में प्रभावित किए बिना:

 - करार के निबंधनों और शर्तों को बदल और / या उपरांतरित करेगा;

- (ii) करार के अधीन अधिमानी बोलीदाता/प्रधान क्रृष्णी के कर्तव्यों के निष्पादन हेतु समय को विस्तृत और/ या स्थगित कर सकेगा, अथवा
- (iii) करार के निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिमानी बोलीदाता/प्रधान क्रृष्णी के विरुद्ध राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले किसी अधिकारों को प्रविरत रहना या प्रवृत्त कर सकेगा।

और प्रतिभू बीमाकर्ता को किसी कार्य करने या करने से लोप के कारण अथवा राज्य की ओर से हुए लोप अथवा अधिमानी बोलीदाता/प्रधान क्रृष्णी के राज्य द्वारा किसी अनुग्रह अथवा किसी कारण जो प्रतिभूतियों से संबंधित नियम के अधीन प्रतिभू बीमाकर्ता को उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं करेगा किन्तु इस उपबंध हेतु, इस प्रतिभू बांड के अधीन प्रतिभू बीमाकर्ता को उसकी बाध्यताओं से मुक्त करने का प्रभाव होगा।

6. इसके अधीन किया गया कोई भी संदाय किसी वर्तमान एवं भविष्य कर, उद्धरण, इम्पोस्ट, शुल्क, प्रभारों, फीस, कमीशनों, कटौतियों अथवा किसी भी प्रकृति की रोकों, के कारण से, किसी कटौतियों से मुक्त होगा।
7. प्रतिभू बीमाकर्ता सहमति देता है कि राज्य अपने विकल्प पर अधिमानी बोलीदाता/प्रधान क्रृष्णी के विरुद्ध प्रथम दृष्टा कार्यवाही के बिना प्रथम दृष्टांत में प्रमुख क्रृष्णदाता के तौर पर, प्रतिभू बीमाकर्ता के विरुद्ध इस प्रतिभू बांड को लागू करने का हकदार होगा।
8. प्रतिभू बीमाकर्ता यह भी सहमति देता है कि इसमें अंतर्विष्ट प्रत्याभूति और प्रत्याभूति बाध्यताएं, करार में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह प्रवृत्त ओर लागू रहेगी तथा यह कि यह तब तक प्रवत्त रहेगा जब तक (i) अभिमानी बोलीदाता/प्रधान क्रृष्णी के सुरक्षा निष्पादन के संबंध में कथित करार के आधार पर अथवा उसके अधीन सभी बाध्यताएं तरह संदत्त नहीं हो जाती और उसके दावों का समाधान या उन्मोचन नहीं हो जाता अथवा (ii) पूर्ति अथवा जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं करता कि सुरक्षा निष्पादन के संबंध में करार के नियम और शर्तों का पूरी तरह एवं उचित रूप में अभिमानी बोलीदाता/प्रधान क्रृष्णी द्वारा पालन किया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का उन्मोचन न हो जाए अथवा (iii) खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 19 के उप-नियम (2) के अधीन किसी संशोधित निष्पादन सुरक्षा का उपबंध करने पर, जो भी बाद में हो, निर्वहन न हो जाए। इसमें किसी बात के होते हुए भी, जब तक प्रतिभूति के अधीन मांग या दावा प्रतिभू बीमाकर्ता पर लिखित में यवन की तारीख पर या उससे पहले नहीं करता तब तक प्रतिभू बीमाकर्ता पर इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग अथवा दावा नहीं पेश किया जाता प्रतिभू बीमाकर्ता को तदनंतर इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त रखा जाएगा।
9. इस प्रत्याभूति के अधीन प्रतिभू बीमाकर्ता द्वारा किया गया संदाय इस आधार पर संदाय हेतु प्रतिभू बीमाकर्ता के दायित्वों का वैध पूर्ति मानी जाएगी और राज्य ऐसा संदाय करने के लिए प्रतिभू बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई दावा पेश नहीं कर पाएगा।
10. यह प्रतिभू बांड भारत की विधि के अधीन है। इस प्रतिभू बांड अथवा इसकी विषय वस्तु के कारण राज्य में [संबंधित राज्य] उत्पन्न किसी वाद, कार्रवाई अथवा अन्य कार्रवाई राज्य के न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी।
11. प्रतिभू बीमाकर्ता के पास इस प्रतिभू बांड को राज्य के पक्ष में जारी करने का अधिकार है। इस प्रतिभू बांड को प्रतिभू बीमाकर्ता के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप उन्मोचित नहीं किया जा सकेगा।
12. प्रतिभू बीमाकर्ता लिखित में राज्य की पूर्व सहमति के बिना इस प्रतिभू बांड को जारी रहने के दौरान प्रतिसंहित नहीं करने के लिए वचनबद्ध है।
13. राज्य, प्रतिभू बीमाकर्ता को पूर्व सूचना द्वारा, किसी अन्य विभागों, मंत्रालयों अथवा अन्य सरकारी अभिकरणों को इस प्रतिभू बांड के अधीन अधिकार दे सकेगा, जो राज्यपाल के नाम पर लागू होंगे। इस खंड में उपबंधित के सिवाय, यह प्रत्याभूति समनुदेशनीय अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी।
14. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,
 - क. इस प्रतिभू बांड के अधीन प्रतिभू बीमाकर्ता का दायित्व प्रतिभू रकम से अधिक नहीं होगा।
 - ख. यह प्रतिभू बांड समाप्ति की तारीख तक मान्य होगा।
15. प्रतिभू बीमाकर्ता केवल इस प्रतिभू बांड के अधीन प्रतिभू बांड की रकम अथवा उसके किसी अंश के संदाय का केवल सिर्फ और केवल तभी उत्तरदायी है यदि राज्य अवसान की तारीख को अथवा उसके पूर्व प्रतिभू बीमाकर्ता को लिखित दावा अथवा मांग पेश करता है।

.....(वर्ष).....(माह).....(तारीख)

जिसके साक्ष्य में प्रतिभू बीमाकर्ता ने, अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, अपना हस्ताक्षर और मोहर लगाई है।

.....
(हस्ताक्षर)

.....
(नाम और पदनाम)

(प्रतिभू बीमाकर्ता की मोहर)

[फा. सं. एम. IV—2306/10/2025—खान IV—भाग(1)]

शक्तिल आलम, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप—खंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 406(अ), तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 776(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2026

G.S.R. 71(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015,—

(a) in rule 9, in sub-rule (5), in the first proviso, after the words “through security deposit”, the words “or through insurance surety bond” shall be inserted;

(b) in rule 10, in sub-rule (1A),—

(i) in the opening portion, the words “or extended period” shall be omitted;

(ii) in clause (b), for the words “within fifteen days”, the words and figures “and furnish performance security as specified in rule 12 within forty-five days” shall be substituted;

(iii) the proviso shall be omitted;

(c) in rule 12, in sub-rule (2), after the words “through security deposit”, the following shall be inserted, namely:—

“or through insurance surety bond in the format as specified in Schedule III-A”;

(d) in rule 13, in sub-rule (3), in clause (a), for the word “Trust”, the words “and Development Trust” shall be substituted;

(e) in rule 18,—

(i) in sub-rule (1), the proviso shall be omitted;

(ii) in sub-rule (1A),—

(A) in the opening portion, the words “or extended period” shall be omitted;

(B) in clause (b), for the words “fifteen days”, the words “forty-five days” shall be substituted;

(C) the proviso shall be omitted;

(f) in rule 19, in sub-rule (4),—

(i) after the words “through security deposit”, the following shall be inserted, namely:—

“or through insurance surety bond in the format as specified in Schedule IV-A”;

(ii) in the first proviso, after the words “security deposit”, the words “or insurance surety bond” shall be inserted;

(g) in rule 19E,—

(i) in sub-rule (6), after the words “through security deposit”, the words “or through insurance surety bond” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (10),—

(A) clauses (iv), (v) and (vi) shall be renumbered as clauses (i), (ii) and (iii), respectively;

(B) in clause (iii) as so numbered, after the words “on conclusion of the auction”, the words “automatically by the online electronic auction platform for public view” shall be inserted;

(h) in rule 19G,—

(i) in sub-rule (1),—

(A) for the words “fifteen days”, at both the places, the words “forty-five days” shall be substituted;

(B) the proviso shall be omitted;

(ii) in sub-rule (2),—

(A) in clause (b) for the words “fifteen days”, the words “forty-five days” shall be substituted;

(B) the proviso shall be omitted;

(i) in rule 19H, in sub-rule (2), after the words “through security deposit”, the following shall be inserted, namely:—

“or through insurance surety bond in the format as specified in Schedule IV-A”;

(j) after “Schedule III”, the following Schedule shall be inserted, namely:—

“SCHEDULE III-A
Format of Insurance Surety Bond
[See rule 12(2)]

[Reference number of the Surety Insurer]

[Date]

To

The Governor of [Name of State]

[address]

WHEREAS

- A. [Name of the Preferred Bidder/Principal Debtor] incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN of the Preferred Bidder/Principal Debtor], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] OR [Name of individual] who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] OR [partnership firm/association of individuals], all members of whom are Indian citizens and residents of India whose principal place of business is at [address of principal place of business] (the "Preferred Bidder/Principal Debtor") is required to provide an unconditional and irrevocable guarantee in the form of insurance surety bond for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of Insurance Surety Bond] ("Expiry Date").}
- B. The Insurance Surety Bond for performance security is required to be provided to The Governor of [Name of State], (the “State”) for discharge of certain obligations under the Tender Document dated, [date] with respect to auction of [particulars of auction] and the Mine Development and Production Agreement to be executed between the State and the Preferred Bidder/Principal Debtor (collectively the “Agreement”).
- C. We, [name of the insurance company] through our branch at [name] (the “Surety Insurer”) at the request of the Preferred Bidder/Principal Debtor do hereby undertake to pay to the State an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (“Surety Bond Amount”) to secure the obligations of the Preferred Bidder/Principal Debtor under the Agreement on demand from the State on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Surety Insurer hereby issues in favour of the State this irrevocable and unconditional guarantee in the form of insurance surety bond on behalf of the Preferred Bidder/Principal Debtor and affirms as follows, namely:—

1. This Insurance Surety Bond is being executed by the Surety Insurer in terms of the IRDAI (Surety Insurance Contract) Guidelines, 2022, issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
2. The Surety Insurer for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the State without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Surety Bond Amount in the aggregate without the State needing to prove or to show to the Surety Insurer grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the State and Preferred Bidder/Principal Debtor on any matter whatsoever. The Surety Insurer undertakes to pay to the State any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Preferred Bidder/Principal Debtor in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Surety Insurer's liability under this present being absolute and unequivocal.
3. The Surety Insurer acknowledges that any such demand by the State of the amounts payable by the Surety Insurer to the State shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Preferred Bidder/Principal Debtor to the State under the Agreement.
4. The Surety Insurer hereby waives the necessity for the State from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Preferred Bidder/Principal Debtor and also waives any right that the Surety Insurer may have of first requiring the State to pursue its legal remedies against the Preferred Bidder/Principal Debtor, before presenting any written demand to the Surety Insurer for payment under this Surety Bond.

5. The Surety Insurer further unconditionally agrees with the State that the State shall be at liberty, without the Surety Insurer's consent and without affecting in any manner the Surety Insurer's obligation under this Surety Bond, from time to time to:—

- (i) vary and/or modify and of the terms and conditions of the Agreement;
- (ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Preferred Bidder/Principal Debtor under the Agreement; or
- (iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the State against the Preferred Bidder/Principal Debtor under the terms and conditions of the Agreement,

and the Surety Insurer shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the State or any indulgence by the State to the Preferred Bidder/Principal Debtor or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Surety Insurer of its obligations under this Surety Bond.

6. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

7. The Surety Insurer agrees that State at its option shall be entitled to enforce this Surety Bond against the Surety Insurer, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Preferred Bidder/Principal Debtor.

8. The Surety Insurer further agree that the Surety Bond herein contained shall remain in full force and effect during the period that specified in the Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Preferred Bidder/Principal Debtor under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the State certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Preferred Bidder/Principal Debtor and accordingly discharges this Surety Bond. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this Surety Bond is made on the Surety Insurer in writing on or before the Expiry Date the Surety Insurer shall be discharged from all liability under this Surety Bond thereafter.

9. The payment so made by the Surety Insurer under this Surety Bond shall be a valid discharge of Surety Insurer's liability for payment thereunder and the State shall have no claim against the Surety Insurer for making such payment.

10. This Surety Bond is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Surety Bond or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the State of [respective State].

11. The Surety Insurer has the power to issue this Surety Bond in favour of the State. This Surety Bond will not be discharged due to the change in the constitution of the Surety Insurer.

12. The Surety Insurer undertakes not to revoke this Surety Bond during its currency except with the previous consent of the State in writing.

13. The State may, with prior intimation to the Surety Insurer assign the right under this Surety Bond to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the Governor. Save as provided in this Clause, this Surety Bond shall not be assignable or transferable.

14. Notwithstanding anything contained herein—

- (a) the liability of the Surety Insurer under this Surety Bond shall not exceed the Bond Amount;
- (b) this Surety Bond shall be valid up to the expiry date.

15. The Surety Insurer is liable to pay the surety bond amount or any part thereof under this Surety Bond only and only if the State serves upon the Surety Insurer a written claim or demand on or before the expiry date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Surety Insurer.

In witness whereof the Surety Insurer, through its authorized officer, has set its hand and stamp.

.....

(Signature)

.....

(Name and Designation)

(Surety Insurer Stamp).”;

(k) after “Schedule IV”, the following Schedule shall be inserted, namely:—

“SCHEDELE IV-A

**FORMAT FOR INSURANCE SURETY BOND FOR COMPOSITE LICENCE AND EXPLORATION
LICENCE**

[See rules 19 (4) and 19H (2)]

[Reference number of the Surety Insurer]

[Date]

To

The Governor of [Name of State]

[address]

WHEREAS

- A. [Name of the Preferred Bidder] incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN of the Preferred Bidder/Principal Debtor], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] OR [Name of individual] who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] OR [partnership firm/association of individuals], all members of whom are Indian citizens and residents of India whose principal place of business is at [address of principal place of business] (the “Preferred Bidder/Principal Debtor”) is required to provide an unconditional and irrevocable guarantee in the form of insurance surety bond for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid for an initial period of [•] ([•]) years from the date hereof (“Expiry Date”).
- B. The Performance Security is required to be provided to the Governor of [Name of State], (the “State”) for discharge of certain obligations under the Tender Document dated, [date] with respect to auction of [particulars of auction] AND the deed for grant of a prospecting licence to be executed between the State and the Preferred Bidder/Principal Debtor AND the Mine Development and Production Agreement to be executed between the State and the Preferred Bidder/Principal Debtor (collectively the “Agreement”).
- C. We, [name of the insurance company] through our branch at [name] (the “Surety Insurer”) at the request of the Preferred Bidder/Principal Debtor do hereby undertake to pay to the State an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (“Surety Bond Amount”) to secure the obligations of the Preferred Bidder/Principal Debtor under the Agreement on demand from the State on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Surety Insurer hereby issues in favour of the State this irrevocable and unconditional guarantee in the form of insurance surety bond on behalf of the Preferred Bidder/Principal Debtor and affirms as follows, namely:—

1. This Insurance Surety Bond is being executed by the Surety Insurer in terms of the IRDAI (Surety Insurance Contract) Guidelines, 2022, issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).
2. The Surety Insurer for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the State without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Surety Bond Amount in the aggregate without the State needing to prove or to show to the Surety Insurer grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the State and Preferred Bidder/Principal Debtor on any matter whatsoever. The Surety Insurer undertakes to pay to the State any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Preferred Bidder/Principal Debtor in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Surety Insurer's liability under this present being absolute and unequivocal.
3. The Surety Insurer acknowledges that any such demand by the State of the amounts payable by the Surety Insurer to the State shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Preferred Bidder/Principal Debtor to the State under the Agreement.
4. The Surety Insurer hereby waives the necessity for the State from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Preferred Bidder/Principal Debtor and also waives any right that the Surety Insurer may have of first requiring the State to pursue its legal remedies against the Preferred Bidder/Principal Debtor, before presenting any written demand to the Surety Insurer for payment under this Surety Bond.
5. The Surety Insurer further unconditionally agrees with the State that the State shall be at liberty, without the Surety Insurer's consent and without affecting in any manner the Surety Insurer's obligation under this Surety Bond, from time to time to:—
 - (i) vary and/or modify any of the terms and conditions of the Agreement;
 - (ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Preferred Bidder/Principal Debtor under the Agreement; or
 - (iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the State against the Preferred Bidder/Principal Debtor under the terms and conditions of the Agreement,

and the Surety Insurer shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the State or any indulgence by the State to the Preferred Bidder/Principal Debtor or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Surety Insurer of its obligations under this Surety Bond.

6. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.
7. The Surety Insurer agrees that State at its option shall be entitled to enforce this Surety Bond against the Surety Insurer, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Preferred Bidder/Principal Debtor.
8. The Surety Insurer further agrees that this Surety Bond and the guarantee obligations herein contained shall remain in full force and effect and shall continue to be enforceable till: (i) all the obligations of the Preferred Bidder/Principal Debtor under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged; or (ii) till the State certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Preferred Bidder/Principal Debtor and accordingly discharges this Surety Bond; or (iii) on provision of a revised performance security under sub-rule (2) of rule 19 of the Mineral (Auction) Rules, 2015 whichever is later. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this Surety Bond is made on the Surety Insurer in writing on or before the Expiry Date the Surety Insurer shall be discharged from all liability under this Surety Bond thereafter.
9. The payment so made by the Surety Insurer under this Surety Bond shall be a valid discharge of Surety Insurer's liability for payment thereunder and the State shall have no claim against the Surety Insurer for making such payment.

10. This Surety Bond is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Surety Bond or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the State of [respective State].
11. The Surety Insurer has the power to issue this Surety Bond in favour of the State. This Surety Bond will not be discharged due to the change in the constitution of the Surety Insurer.
12. The Surety Insurer undertakes not to revoke this Surety Bond during its currency except with the previous consent of the State in writing.
13. The State may, with prior intimation to the Surety Insurer, assign the right under this Surety Bond to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the Governor. Save as provided in this Clause, this Surety Bond shall not be assignable or transferable.
14. Notwithstanding anything contained herein,
 - (a) the liability of the Surety Insurer under this Surety Bond shall not exceed the Bond Amount; and
 - (b) this Surety Bond shall be valid up to the expiry date.
15. The Surety Insurer is liable to pay the surety bond amount or any part thereof under this Surety Bond only and only if the State serves upon the Surety Insurer a written claim or demand on or before the expiry date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Surety Insurer.

In witness whereof the Surety Insurer, through its authorised officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Surety Insurer Stamp)].”.

[F. No. M.IV-2306/10/2025-Mines IV-Part(1)]

SHAKIL ALAM, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and was last amended, *vide* number G.S.R. 776(E), dated the 22nd October, 2025.